UPMZ010067672026

न्यायालय, Addl. Distt. and Sess. Judge Court No-08, Muzaffarnagar.

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2708 सन् 2026

जतिन शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 221 सन् 2026,
अंतर्गत धारा 109(1), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर।

30–05–2026

01:– आवेदक/अभियुक्त **जतिन शर्मा पुत्र रमेश शर्मा,** निवासी ग्राम हत्थो, थाना नरवाना, जनपद जीन्द (हरियाणा), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 221 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) के मामले में निरुद्ध है, की ओर से जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

02:– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथकर्ता ईश्वर सिंह की ओर से शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।

03:– संक्षेप में अभियोजन कथानक मामले के वादी मुकदमा उपनिरीक्षक शशि कपूर फर्द बरामदगी के आधार पर इस प्रकार है कि दिनांक 16–05–2026 को उपनिरीक्षक शशि कपूर मय हमराहीयान प्राईवेट वाहनों के थाना हाजा के वहवाले रपट नम्बर 16 में चैंकिग संदिग्ध वाहन, तलाश वांछित अपराधी पानीपत खटीमा हाईवे के पुल के नीचे कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक स्लेटी रंग की स्विफ्ट कार शामली की ओर से आती दिखाई दी। जिसे उनके द्वारा हाथ से रूकने का इशारा किया गया तो चालक ने पुलिसवालों से 50 मीटर पहले उक्त गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक लिया और अपने बायी तरफ कच्चे रास्ते पर कार को भगाने का प्रयास किया तो कार करीब 100 मीटर आगे चलकर पेड़ से टकरा गयी। इसके पश्चात् कार सवार बदमाश खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिसवालों को जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे पुलिसवाले बाल–बाल बच गये। पुलिस की तरफ से जबावी कार्यवाही करते हुए आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.06.01 10:28:48 IST
Reason: Bail Order
Location: Addl. Sessions Judge, Court No-08, Mzn(UP).

की गयी तथा जिसमें घायल बदमाश को एकबारगी दबिश देते हुए एक बदमाश को पकड़ा जिसके बाये पैर के घुटने के नीचे गोली लगी थी। जिसका नाम व पता पूछते हुए जमातलाशी ली गयी तो घायल बदमाश ने अपना नाम गुलशन पुत्र राम उग्गर सिंह जिसकी पहनी जीन्स की दाहिनी जेब से कुल 12,400/– रूपये, एक जिन्दा कातूस 315 बोर, एक मोबाईल फोन रेडमी नोट 09 व पहनी सफेद शर्ट से भिन्न–भिन्न बैंको के, भिन्न–भिन्न लोगों के कुल 21 अदद ए०टी०एम बरामद हुए तथा दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा है। पुलिसटीम द्वारा मौके से भागे दो बदमाशों को पकड़ कर लायी जिनका नाम पता पूछते हुए जमतलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम जतिन शर्मा पुत्र रमेश शर्मा, जिसकी लोअर की दाहिनी जेब से कुल 11,000/– रूपये, एक अदद मोबाईल PEACE कम्पनी रंग ओरेंज, बायी जेब से मोबाईल फोन मोटो तथा भिन्न–भिन्न बैंको के, भिन्न–भिन्न लोगों के कुल 22 ए०टी०एम० बरामद हुए तथा तीसरे ने अपना नाम मयंक राणा उर्फ गौरव बताया। इसकी जमतलाशी पर पहने काले रंग की लोअर से कुल 15,000/– रूपये तथा सफेद नीली धारी की टी–शर्ट से भिन्न–भिन्न बैंको के, भिन्न–भिन्न लोगों के 20 अदद ए०टी०एम० बरामद हुए। तीनों बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने पर सभी ने एक स्वर में बताया कि हम एक साथ मिलकर भोले–भाले लोंगों से उनके ए०टी०एम० बदलकर तथा पिन जानकर दूसरे ए०टी०एम० से उनके खाते से रूपये चोरी कर लेते हैं। कल हमने दिनांक 15–05–2026 को शामली रोड़ फारूख मार्ग बैंक ऑफ बडौदा के ए०टी०एम० से धोखो से ए०टी०एम० बदलकर मिनाक्षी चौक के सिटी सेंटर में एच०डी०एफ०सी० बैंक के ए०टी०एम० से उस व्यक्ति के खाते से 43,500/– रूपये चोरी कर लिये थे और आपस में तीनों ने बांट लिये थे। मौके पर बरामद कार रजिस्ट्रेशन नम्बर HR20AP2291 को ई–चालान एप पर ड़ालकर देखा गया तो उक्त कार स्विफ्ट डिजायर कार रंग सफेद जिसका चेचिस नम्बर MA3FHEB1S00B03917 इंजन नम्बर D13A2429885 वाहन स्वामी सुखबिन्दर सिंह पुत्र बच्चन सिंह है। उसके पश्चात् चेचिस नम्बर से मिलान किया गया तो उक्त कार का रजिस्ट्रेशन नम्बर DL8CAC3684 पाया गया। जिसका वाहन स्वामी जतिन पुत्र रमेश है। सख्ती से पूछताछ करने पर जतिन ने बताया कि यह गाडी मेरे नाम पर है और इसे हम तीनों घटना में प्रयोग करते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए हम तीनों ने आपस में सलाह करके फर्जी तरीके से नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार करके गवाहान/पुलिस कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये गये तथा बरामद माल को सील सर्वे मुहर किया गया।

04:– आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए और उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का सह–अभियुक्तगण से कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है। जो पैसे दिखाये गये हैं, वह आवेदक/अभियुक्त के अपने हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय से खारिज हो चुका है, आदेश की प्रति संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त कथित अपराध में दिनांक 16–05–2026 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

05:– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) उपस्थित। उनके द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का विरोध किया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जाए।

06:– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

07:– जमानत प्रार्थनापत्र, केस ड़ायरी एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रसारण में सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिसटीम पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, कार की नम्बरप्लेट की कूटरचना करने तथा उक्त कूटरचित नम्बरप्लेट का असली के रूप में प्रयोग करने तथा कूटरचित नम्बर प्लेट को धोखा देने के आशय से अपने पास रखने का आरोप है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से चोरी के अंकन 11,000/– रूपये तथा भिन्न–भिन्न ग्राहकों के नाम के तथा भिन्न–भिन्न बैंकों के कुल 22 अदद ए०टी०एम० बरामद किये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **जतिन शर्मा पुत्र रमेश शर्मा** द्वारा मु०अ०सं० 221 सन् 2026, धारा 109(1), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः– 30–05–2026

(काशिफ शेख)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 08, मुजफ्फरनगर।